



# जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 20.10.2024

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेडी करमू में विद्युत विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार:-

ज्ञात हो दिनांक 19.10.2024 को श्री अजय शर्मा अवर अभियन्ता 33/11 के 0वी0 विद्युत उपखण्ड खेडी करमू जनपद शामली द्वारा अपनी टीम के साथ ग्राम खेडी करमू में विद्युत चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान ग्राम खेडी करमू निवासी वसीम, नदीम, शबाना, गुलिस्ता व 02 महिला अज्ञात द्वारा विद्युत चैकिंग टीम के साथ अभद्रता करते हुये जानलेवा हमला कर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचायी थी तथा सरकारी दस्तावेज फाड दिये व जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसमें श्री अजय शर्मा उपरोक्त गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेडी करमू में विद्युत विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने, सरकारी दस्तावेज फाड देने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता:-

1. वसीम पुत्र अनीस निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. श्रीमती अफसाना पत्नी अतीक निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3. श्रीमती नगमा पत्नी वसीम निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ ट्रैक्टर का टायर बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 19.10.2024 को वादी श्री आबिद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत की जनपद शामली में पुराना दिल्ली-सहारनपुर बस अड्डा स्थित टायर की दुकान से अज्ञात चोर द्वारा टायर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये हुये ट्रैक्टर टायर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.राहुल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.चोरी किया हुआ ट्रैक्टर का टायर (पीछे वाला)।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत युवक पर जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो कि दिनांक 16.10.2024 को श्री सेवाराम सैनी पुत्र श्री घसीटू राम निवासी मौहल्ला हरिराम नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के पुत्र रोहित सैनी पर अभियुक्तगण द्वारा जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत युवक पर जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.आकाश पुत्र विनोद निवासी मौहल्ला रामसागर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 2.कार्तिक पुत्र प्रमेश निवासी मौहल्ला रामसागर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद:-

आज दिनांक 20.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध देशी छोटी बन्दूक 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.इमरान पुत्र अब्बास निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 देशी छोटी बन्दूक 12 बोर ।



थाना थानाभवन व थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 20.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन व थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.बिल्लू पुत्र सुशील निवासी ग्राम देवीपुरा थाना थानाभवन जनपद शामली ।

2.कालू उर्फ तहसीन पुत्र सुदा निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली

3.महबूब पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला कश्यपपुरी कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

